21-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को बार-बार रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई परन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित

Scanned by CamScanner

नहीं हुवे है। अतः अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कमदे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर मंजूर हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner